आदेश की क्रम सं० एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित

13-02-23

न्यायालय, श्रीमती मनीषा तिर्की,विशेष विनियमन पदाधिकारी, राँची।

एस०ए०आर०वाद सं०-644/13-14

(1) योगेन्द भगत उर्फ जगतु उराँव,वो (2) महादेब टोप्पो,वो (3) मार्विन टोप्पो,वो (4) जय किशोर टोप्पो, सभी के पिता स्व. कुन्ना उराँव, वो (5) अशोक टोप्पो, वो (6) अजय टोप्पो दोनो के पिता स्व. जगरनाथ उराँव, वो (7) यमुना देवी, पति स्व. खुईया उराँव, सभी निवासी ग्राम–हेहल टंगरा टोली, थाना सुखदेव नगर, जिला राँची ... प्रथम पक्षगण।

बनाम

(1) संजीव जयसवाल, पिता श्री ललन प्रसाद जयसवाल, (2) राजीव जयसवाल, पिता श्री ललन प्रसाद जयसवाल, (3) अशोक जयसवाल, पिता स्व. रामकेवल प्रसाद जयसवाल (4) राकेश मेहता, पिता रामचदन महतो, (5) राकेश कुमार गुप्ता, पिता श्री नन्दु प्रसाद, (6) रीता जयसवाल,पति विकाश जयसवाल, सभी निवास ग्राम–हेहल पावा टोली, थाना–सुखदेवनगर, जिला राँची। .... द्वितीय पक्ष गण।

आदेश

प्रथम पक्ष गण (1) योगेन्द्र भगत उर्फ जगतु उराँव, वो (2) महादेव टोप्पो, वो (3) मार्विन टोप्पो, वो (4) जय किशोर टोप्पो, सभी के पिता स्व. कुन्ना उराँव, वो (5) अशोक टोप्पो, वो (6) अजय टोप्पो, दोनो के पिता स्व. जगरनाथ उराँव, वो (7) यमुना देवी, पति स्व. खुईया उराँव, सभी निवासी ग्राम–हेहल टंगरा टोली, थाना सुखदेवनगर, जिला राँची द्वारा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 71"A" के अंतर्गत जमीन वापसी हेतु यह वाद दायर किया गया है। प्रथम पक्षगण ने आरोप लगाया है कि उनकी निम्नांकित जमीन द्वितीय पक्ष (1) संजीव जयसवाल, पिता श्री ललन प्रसाद जयसवाल, (2) राजीव जयसवाल, पिता श्री ललन प्रसाद जयसवाल, (3) अशोक जयसवाल, पिता स्व.रामकेवल प्रसाद जयसवाल (4)राकेश मेहता, पिता रामचदन

कृ०पृ०उल्टे

महतो, (5) राकेश कुमार गुप्ता, पिता श्री नन्दु प्रसाद, (6) रीता जयसवाल, पति विकाश जयसवाल, सभी निवास ग्राम–हेहल पावा टोली, थाना सुखदेवनगर, जिला राँची द्वारा छल प्रपंच से हड़पकर दखल कर लिया है।

जमीन का विवरण

ग्राम	थाना नं.	खाता नं.	प्लॉट नं.	रकबा
हेहल	203	112	236	16½ कट्ठा

आवेदकगण ने अपने आवेदन एवं शपथ पत्र में उल्लेख किया है कि प्रश्नगत जमीन बड़का महादेव उराँव के नाम से दर्ज है। प्रथम पक्ष अनुसूचित जनजाति के सदस्यगण हैं। द्वितीय पक्षगण ने उपायुक्त से अनुमति प्राप्त किये बिना ही छल प्रपंच से जबरन जमीन पर कब्जा कर प्रथम पक्ष को बेदखल कर दिया है।

इसी को आधार मानते हुए कारण पृच्छा प्रस्तुत करने हेतु उभय पक्षों को नोटिस निर्गत किया गया।

प्रथम पक्षगण ने अपने लिखित ब्यान में कहा है कि उपरोक्त भूमि को महादेव उराँव वल्द भीमा उराँव से बड़का महादेव उराँव ने खरीदगी बिक्री पट्टा सं.–1914 दिनांक–18.04.1940 के द्वारा प्राप्त किया था। प्रथम पक्षगण बड़का महादेव उराँव के वंशज है। खरीदगी तिथि से प्रथम पक्षगण शांतिपूर्वक दखलकार है।

द्वितीय पक्षगण अपने लिखित ब्यान में कहा है कि उक्त भूमि वर्ष 1945 ई. में सादा हुकुमनामा के माध्यम से आवेदकगण के दादा से द्वितीय पक्षगण के दादा के नाम से बिक्री वो हस्तान्तरित कर दिये थे। हस्तान्तरित की तिथि से द्वितीय पक्षगण सपरिवार उक्त भूमि पर अपना अपना मकान बनाकर शांति पूर्वक दखलकार है। वर्तमान में द्वितीय पक्षगण ही उक्त भूमि पर शांति पूर्वक दखलकब्जा है।

अतः उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर वाद को आदेश पर रखा गया। विवादित भूमि को महादेव उराँव वल्द भीमा उराँव से बड़का महादेव उराँव ने

खरीदगी बिक्री पट्टा सं.–1914 दिनांक–18.04.1940 के द्वारा प्राप्त किया था। प्रथम पक्षगण बडका महादेव उराँव के वंशज है। द्वितीय पक्षगण ने उक्त भूमि वर्ष 1945 ई. प्रथम पक्षगण के दादा से सादा हुकुमनामा द्वारा प्राप्त किया है। तब से उक्त भूमि पर द्वितीय पक्षगण (1) संजीव जयसवाल, पिता श्री ललन प्रसाद जयसवाल ने रकवा–2.4कट्ठा (2) राजीव जयसवाल, पिता श्री ललन प्रसाद जयसवाल ने रकवा–2.4कट्ठा (3) अशोक जयसवाल, पिता स्व. रामकेवल प्रसाद जयसवाल ने रकवा–2.4कट्ठा (4) राकेश मेहता, पिता रामचदन महतो ने रकवा–2.4कट्ठा (5) राकेश कुमार गुप्ता, पिता श्री नन्दु प्रसाद ने रकवा–2.4 कट्ठा (6) रीता जयसवाल, पति विकाश जयसवाल ने रकवा–4½ कट्ठा भूमि पर शांति पूर्वक दखलकार है। द्वितीय पक्षगण का पक्का मकान निर्मित है, द्वितीय पक्षगण विगत 60 वर्षो से प्रश्नगत भूमि पर शांति पूर्वक दखलकार हैं।

चुंकि उक्त भूमि पर खतियानी रैयत के वंशजो ने वाद दायर नहीं किया है। उक्त भूमि खरीदगी दर्ज है। प्रश्नगत भूमि का अंतरण की तिथि वर्ष 1945 है, एवं अंतरण संबंधी दस्तावेजो का न्यायालय के द्वारा सत्यापन किया गया। जिससे स्पष्ट है कि आवेदकगण के द्वारा लगभग 60 वर्षो के बाद भू–वापसी का यह वाद दायर की गयी है। जबकि छोटानागपूर काश्तकारी अधिनियम के धारा–71"A" के अन्तर्गत आवेदन 30 वर्षो के अन्दर ही दायर की जानी चाहिए। इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय, पटना, राँची बेंच के द्वारा प्रकाशित फैसला–C.W.J.C.No.-645/1979(R) मिटकु कोईरी बनाम बिहार सरकार एवं जगेश्वर तेली बनाम बिहार सरकार (1994)(1) पी०एल०जे०आर० पृ०–91, लुकस खरीया बनाम बडाईक बहादुर सिंह 2006(3) जे०सी०आर० पृ०–132 का हवाला दिया गया। इस सभी फैसलों में माननीय पटना उच्च न्यायालय, राँची बेंच एवं माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड राँची ने यह व्यवस्था दी है कि धारा–71"A" के अन्तर्गत आवेदन 30 वर्षो के अन्दर ही दायर की जा सकती है,एवं माननीय उच्चतम न्यायालय का Civil Appeal Nos. 2414-15 of 1999 Situ Sahu &Ors-vrs- State of Jharkhand के आदेश दिनांक–

कृ०पृ०उल्टे

10.09.2004 को निम्न आदेश पारित है–Chhotanagpur Tenancy Act, 1908, Section 71-A and 71-B Limitation Act, 1963, Article 65- Restoration of land To the members of Scheduled Tribe and Khatiyani holders- Sustainability of-Power under Section 71-A could have been exercised only within a reasonable time-Exercise of powers after lapse of 40 year against the period of limitation of 30 years under the Limitation Act- Not a reasonable time for-Application for restoration not maintainable वर्तमान वाद में भी आवेदन समय–सीमा के अन्दर दायर नहीं की गई है।

अतः माननीय उच्चतम एवं उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश एवं विपक्षी द्वारा दाखिल साक्ष्य के आधार पर आवेदक का आवेदन काल–बाधित है। प्रश्नगत भूमि पर 71"A" लागू नहीं होता है। अतः आवेदन खारिज किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।

13-02-23

विशेष विनियमन पदाधिकारी,
राँची।

13-02-23

विशेष विनियमन पदाधिकारी,
राँची।

Digitally signed by MANISHA TIRKEY
Date: 2024.12.12 12:23:21 +05:30
Location: 192.168.51.130